

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राजेश्वर

बनाम : देवराज

म मुकदमा : वाद-पत्र

नं० : 30/2022

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
4/6/2024	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. द्वारा आव इष्टी में ... चित्तौड़गढ़ पक्षार में अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/6/24 को पेश की जावे।</p> <p><i>Signature</i></p>	
25/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. द्वारा आव इष्टी में ... देवराज पक्षार में अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/7/24 को पेश की जावे।</p> <p><i>Signature</i></p>	
07/24	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षकारों उपस्थित। परीक्षा स्तरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा पत्रांक सीएर/2024/102 दिनांक 16/07/24 को द्वारा शक्ति विभाग के संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शुद्ध है। पत्रावली वाले रिपोर्ट के प्रत्येक दिनांक 24/07/2024 को पेश है।</p> <p><i>Signature</i></p>	
24/07/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। मदी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई वाबजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम धाजिरी अदम धाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार डेकर दर्ज रजिस्टर से फम की जाकर शामिल दफ्तर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

